

202603/08/14290013

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

गोपीराम बनाम् ओमप्रकाश

प्रकरण अन्तर्गत धारा 53 188 आरटीएक्ट

प्रकरण सं.-21 सन् 2026

जी.सी.एम.एस नं.-2026 / 58

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
03.2026	<p>आज वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश सोलकी ने एक वाद पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.04.2026 को पेश हो।</p> <p>सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
16/4/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीनाम् P.O. साला अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/5/26 को पेश हो।</p>	
20/5/26	<p>पत्रावली जस्टिस वकील वारी उपस्थित। सम्मन परिपत्र जात नहीं। अंतर्गत हेरत केप्रां दिनांक 19/6/26 को पेश हो।</p>	
26/5/26	<p>आज यह पत्रावली वारी के हाथ जायना फा पेस कचे पट पेसी में भी जडे वारी ने जर्मिना-फा के निवेदन किण कि उकाल के लोकअदालत की प्रेषा से रानीगाब हो जपा है तथा उकाल में कोर कामवासी नहीं काल पहले हेतया उकाल को अरिए नोट सेर खारिज कएना चाले हो कतः जामी वारी के जर्मिना-फा के कया पर वारी-गज वकीलत्व पर खारिज किण जाल है पत्रावली किण मुकाल गजिल पन्तक हेरत न ले कत हो</p> <p>सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	<p>जोपी राम पत्रावली रजिनांक हो गपारो डाक गोरे गपतरी नही कला पुल्लुई रमेश सोलकी 10 27/5/26</p>